

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 3—मई 9, 2014 (वैसाख 13, 1936)

No. 18]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 3—MAY 9, 2014 (VAISAKHA 13, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी
अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the
Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 मार्च 2014

सं. आरएस/42/2/2010/16-कार्मिक--अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि के पूरे होने पर श्रीमती शारदा सुब्रह्मण्यम् (भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा-1991), संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय को 31 मार्च, 2014 के अपराह्न से इस सचिवालय में उनके कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

2. श्रीमती शारदा सुब्रह्मण्यम् को 31.05.2014 और 01.06.2014 (क्रमशः शनिवार और रविवार) की तारीखों को छुट्टी से बाद में जोड़ने की अनुमति प्रदान करते हुए 01.04.2014 से 30.05.2014 तक 60 दिनों के लिए शिशु देखभाल छुट्टी मंजूर की गई है।

3. छुट्टी की उपर्युक्त अवधि के समाप्त हो जाने पर श्रीमती शारदा सुब्रह्मण्यम की सेवाएं पुनः उनके मूल विभाग, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली के अधीन आ जाएंगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 11 अप्रैल 2014

सं. के. 13011/02/2014-यू एस-1--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति राजेन्द्र मल लोढ़ा को दिनांक 27 अप्रैल, 2014 से भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

अनीता कौल, सचिव

गृह मंत्रालय

अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

सं. ए.19011/1/2013.अ.रा.प्र.-- राष्ट्रपति, डॉ विनोद अग्रवाल, भा.प्र. से. (झारखंड : 80) को अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय, (गृह मंत्रालय) में भारत सरकार के अपर सचिव के रैंक एवं वेतनमान में परामर्शी के रूप में दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

लाजपत राय गुप्ता, उप सचिव

महानिदेशालय

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

नई दिल्ली-110066, दिनांक 3 मार्च 2014

सं. I-17018/स्था.-I/724/रा.आ.मो.बल/2014/3920--राष्ट्रपति, डॉ. महबूब आलम, भा.पु.से. (टीएन: 81) को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, गृह मंत्रालय में महानिदेशक के पद पर, एचएजी वेतन स्केल रुपये 67,000--79,000/- पर, दिनांक 27.02.2014 (पूर्वाह्न) से 31.05.2014 तक अर्थात् उनके सरकारी सेवा से अधिवर्षिता जाने तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. इस मुख्यालय की अधिसूचना समसंख्यक सं. 3360 दिनांक 27/02/2014 एतद्वारा रद्द की जाती है।

संदीप राय राठौर, महानिरीक्षक

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं नागरिक सुरक्षा

मुख्यालय महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

विदेश मंत्रालय

कार्यालय प्रोटोकॉल उप प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2014

सं. डी III /460/सी एफ-48/2013--भारत के राष्ट्रपति मुंबई में हंगरी के प्रधान कौंसल के रूप में श्री नोर्बेर्टो वाई बैरे की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री नोर्बेर्टो वाई बैरे के कौंसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेश पुदुच्चेरी, दमन एवं दीव तथा दादर व नागर हवेली होंगे, जिसका केंद्र मुम्बई होगा।

संजीव खंडूरी, प्रोटोकॉल उप प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

सं. 2013 का 03 फा. सं. ए-39012/2/2011-प्रशा. VI क--भारत के राष्ट्रपति श्री अशोक मित्तल, भारतीय राजस्व सेवा (आई टी: 92025), अपर आयकर आयुक्त, नई दिल्ली का केन्द्र सरकार की सेवा से दिनांक 01.11.2012 से त्यागपत्र इस शर्त के अध्याधीन स्वीकार करते हैं कि त्यागपत्र को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा (वीआरएस) में परिवर्तित करने जैसे किसी अनुरोध की अनुमति नहीं दी जाएगी।

राज कुमार, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च 2014

सं. ए-20012/154/80-स्थापना (खण्ड-II)--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में सहायक श्रीमती रेणु सबलानिया को दिनांक 03.03.2014 के पूर्वाह्न से 30 जून, 2014 तक अथवा अगले आदेश होने तक, पूर्णतः तदर्थ आधार पर वित्तीय सेवाएं विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अध्याधीन होगी:

- (i) तदर्थ प्रोन्नति की अवधि 30 जून, 2014 तक या नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, होगी;

- (ii) नियुक्ति-प्राप्त अधिकारी को तदर्थ नियुक्ति से अनिश्चितकाल तक इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (iii) तदर्थ नियुक्ति तब तक जारी रहेगी, जब तक कि अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता कोटे या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।
- (iv) उपयुक्त तथा सतर्कता दृष्टिकोण से दोष मुक्त पाये जाने वाले अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति की प्रभावी तारीख अपने संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में उनके द्वारा कार्य-भार करने की तारीख होगी।

मनीष कुमार, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 मार्च 2014

सं. ए-32011/01/2012-प्रशासन.IV--सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय श्री दिलदार सिंह, सहायक, कंपनी विधि बोर्ड को अनुभाग अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, पे बैंड 9,300--34,800/- रुपये और ग्रेड पे 4,600/- रुपये) के रूप में उसी कार्यालय में 17 फरवरी, 2014 पूर्वाह्न से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. विमल, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

पूर्ति प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 2014

सं. ए-32013/1/2012-संवर्ग--अधिर्वर्षिता की आयु प्राप्त करने पर पूर्ति प्रभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की निम्नलिखित अवर सचिव अपने नाम के आगे उल्लिखित तारीख से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगी :--

नाम	जन्म तिथि	अधिर्वर्षिता की तारीख
सुश्री उषा रानी	07.03.1954	31.03.2014

अजय कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 7 अप्रैल 2014

संख्या ए-13013/02/2013-के.स्वा.सेवा-IV----राष्ट्रपति, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग के निम्नलिखित विशेषज्ञ वर्ग-II को उनके नामों के आगे दर्शाए गए दिनांक से स्थाई रूप से नियुक्त करते हैं:-

क्रमांक	नाम एवं नियुक्ति का स्थान	विशेषज्ञता	सेवा में प्रवेश की तारीख	पुष्टिकरण की तारीख
1	2	3	4	5
1.	डॉ. शिखा बंसल के. सरकार स्वा. यो., दिल्ली	चर्मरोग	22.09.2009	22.09.2010
2.	डॉ. रेखा भारती के. सरकार स्वा. यो., दिल्ली	प्रसूति एवं स्त्री रोग	16.11.2010	16.11.2011
3.	डॉ. राजेश कुमारी के. सरकार स्वा. यो., दिल्ली	प्रसूति एवं स्त्री रोग	18.11.2010	18.11.2011
4.	डॉ. मुकेश यादव के. सरकार स्वा. यो., दिल्ली	शिशु रोग	13.10.2011	13.10.2012
5.	डॉ. गौतम शर्मा के. सरकार स्वा. यो., दिल्ली	मनोविज्ञान	26.09.2011	26.09.2012
6.	डॉ. रितु विनायक अरोरा के. सरकार स्वा. यो., दिल्ली	विकिरण	13.01.2011	13.01.2012
7.	डॉ. जग जग ताम्बे के. सरकार स्वा. यो., कानपुर	शिशु रोग	01.11.2011	01.11.2012

1	2	3	4	5
8.	डॉ. अपूर्वा अधिकारी के. सरकार स्वा. यो., कोलकाता	नेत्र विज्ञान	01.06.2011	01.06.2012
9.	डॉ. भावना मल्होत्रा सिंह के. सरकार स्वा. यो., लखनऊ	प्रसूति एवं स्त्री रोग	08.04.2011	08.04.2012
10.	डॉ. सनत कुमार त्रिपाठी राष्ट्रीय क्षय संस्थान, बंगलुरु	क्षय रोग	12.03.2010	12.03.2011
11.	डॉ. अनिता कुमारी सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	प्रसूति एवं स्त्री रोग	18.11.2010	18.11.2011
12.	डॉ. सरिता सिंह सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	प्रसूति एवं स्त्री रोग	09.11.2011	09.11.2012
13.	डॉ. मनोज कुमार सिंह सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	शिशु रोग	29.07.2010	29.07.2011
14.	डॉ. रचना मील डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	नेत्र विज्ञान	25.05.2011	25.05.2012
15.	डॉ. सुरभि सिन्हा के. सरकार स्वा. यो., दिल्ली	चर्म रोग	13.06.2012	13.06.2013

ललित कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 15 अप्रैल 2014

सं. ए.-12025/56/2013-सीएचएस-1---राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. नवीन राठोर को 19.06.2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड के (पीबी-3) (रुपए 15600--39100/-) + रूपए 5400/- (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. नवीन राठोर को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. नवीन राठोर अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

दिनांक 16 अप्रैल 2014

सं. ए.-12025/30/2013-सी.एच.एस. I---राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. सजाद अहमद मलिक को दिनांक 16.12.2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान 15600--39100+5400/- रु. ग्रेड वेतन में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. सजाद अहमद मलिक को आसूचना ब्यूरो के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डॉ. सजाद अहमद मलिक नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों तक परीवीक्षा पर रहेंगे।

एम.के. शरवर, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2014

सं. ए.-38016/12/2013-स्था-III--अधिवाषिता की आयु प्राप्त करने पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत डॉ. (श्रीमती) एस. बृन्दा, निदेशक (सीजीएचएस) दिनांक 28.02.2014 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2014

सं. 22012/01/2014-स्था-I---राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 24.12.2013 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं 5.8.2013-सी एस I (यू) के तहत श्रेणी-I (अवर सचिव) में पदोन्नति के परिणामस्वरूप श्री बृजेश गोधरा (सीएसएल सं. 8426), अनुभाग अधिकारी को सी एस एस

कैंडर के श्रेणी-I (अवर सचिव) के पद पर कृषि एवं सहकारिता विभाग में वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपये) + 6,600/- रुपये ग्रेड वेतन पर पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है जो 28 फरवरी 2014 के पूर्वाह्न से 31.05.2014 तक की अवधि हेतु अथवा जब तक नियमित आधार पर पदों को भरा जाता है, अथवा आगामी आदेशों के आने तक जो भी पहले हों प्रभावी है।

2. श्रेणी--I (अवर सचिव) के लिए पदोन्नति डीओपीटी के उपरोक्त आदेश में दिए गए मानकों तथा शर्तों के अध्याधीन है।

एन. के. गुप्ता, उप सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 2014

सं. 19011/16/2013-स्था.--अनुभाग अधिकारियों/आशुलिपिकों (समूह ख/ग्रेड. I) 2009, 2010 तथा 2011 के एलडीसीई के आधार पर चयन सूची वर्ष 2010 में सीएसएसएस के निजी सचिव ग्रेड में उनके नामों के समावेश तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 22.08.2013 के का.जा.सं. 4/6/2013-सीएस II(ए) के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए नामांकन के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को जनजातीय कार्य मंत्रालय में उनके नामों के आगे उल्लिखित तिथि से निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	नाम	चयन सूची का वर्ष	रैंक सं.	से नियुक्ति
1.	श्री हरविन्दर सिंह	2010	15	27.08.2013(पूर्वाह्न)
2.	सुश्री मधु साहनी	2010	63	30.08.2013(अपराह्न)

के.चन्द्र सेकर, अवर सचिव

सं. 19011/22/2013-स्था.--वरिष्ठता कोटा के लिए जोनिंग स्कीम के तहत चयन सूची वर्ष 2011 में सीएसएसएस के निजी सचिव ग्रेड में उनके नाम के समावेश तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 10.09.2013 के का.जा.सं. 4/4/2013-सीएस II(ए) के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए नामांकन के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, श्रीमती हरमीत कौर को दिनांक 25.10.2013 (पूर्वाह्न) से जनजातीय कार्य मंत्रालय में नियमित आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

के.चन्द्र सेकर, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 अप्रैल, 2014

सं. 9-19/2008-एमसी.—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 मार्च, 2014 के का. झा. सं. 4/41/2012-ईओ (एसएम-I) के अनुसरण में, श्री वाई. पी. सिंह, संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को दिनांक 09.06.2013 से 30.06.2014 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उनके स्वयं के प्रभार के अतिरिक्त अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के प्रबंध निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपते हैं।

मैत्रेयी राय, उप सचिव

**संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)**

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

सं. ए-32013/1/2013-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री शशि रंजन कुमार, आईएस (एमटी:92) को दूरसंचार विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में 37400-67000/- रु. (वेतन बैंड-4)+10000/- रु. वेतन ग्रेड के वेतन बैंड में दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 (पूर्वाहन) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

निर्मला देव, अवर सचिव

दिनांक 30 दिसम्बर 2013

सं. पीएफ-609/प्रशासन-I--श्री रवि पी.बी. मेनन, अनुभाग अधिकारी, दूरसंचार विभाग, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 के अपराहन से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

निर्मला देव, अवर सचिव

दिनांक 7 फरवरी 2014

सं. ए-32013/4/2010-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्रीमती अनुराधा गणेश (सीएसएल सं. 8316), गृह मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के आदेश सं. 5/8/2013-सीएस-I(यू) के अनुसार वेतन बैंड-3 के 15600--39100/- रु. जमा 6600/- रु. (वेतन ग्रेड) के वेतनमान में दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में दिनांक 31.12.2013 के पूर्वाहन से दिनांक 31.05.2014 की अवधि तक अथवा नियमित आधार पर इन पदों के भरे जाने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

निर्मला देव, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 जनवरी 2014

शुद्धिपत्र

सं. 641/प्रशासन-I—इस विभाग की दिनांक 02.12.2013 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को वापस लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, श्री अश्वनी कुमार दिआलानी को सरकारी सेवा में बने रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अनुराधा गणेश, अवर सचिव

दिनांक 16 जनवरी 2014

सं. 36-2/2010-प्रशा.I--राष्ट्रपति ने श्री रंजन खन्ना, आईआरएस (सीएवंसीई : 94), जो इस समय सह-पदावसानिक (को-टर्मिनस) आधार पर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) के निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं, की समय अवधि को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 31/4/2013-ईओ(एमएम-1) दिनांक 02.04.2013 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 22.01.2014 के बाद से आगामी आम चुनाव के पूरा होने तक अथवा मंत्री के निजी सचिव के रूप में उनके कार्य करना बंद करने तक अथवा आगामी आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया है।

अनुराधा गणेश, अवर सचिव

दिनांक 20 जनवरी 2014

सं. ए-32013 /1/2010-प्रशा.I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय आदेश सं. 4/3/2013-सीएसआई (डी) दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव), श्री रंजन कुमार को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) के पद पर 15600-39100/- रूपए + 7600/- रूपए (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड 3 में दिनांक 01.01.2014 (पूर्वाहन) से आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, दूरसंचार विभाग में पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

अनुराधा गणेश, अवर सचिव

दिनांक 30 जनवरी 2014

सं. पीएफ-1451/प्रशासन-I--श्रीमती सुधा शर्मा, अनुभाग अधिकारी, दूरसंचार विभाग, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 जनवरी, 2014 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगी।

अनुराधा गणेश, अवर सचिव

दिनांक 6 फरवरी 2014

सं. ए-32013/4/2010-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री बुद्ध रतन (सीएसएल सं. 8450), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के आदेश सं. 5/8/2013-सीएस-I(यू) के अनुसार वेतन बैंड-3 के 15600--39100/- रु. जमा 6600/- रु. (वेतन ग्रेड) के वेतनमान में दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में दिनांक 31.12.2013 के अपराह्न से दिनांक 31.05.2014 की अवधि तक अथवा नियमित आधार पर इन पदों के भरे जाने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

अनुराधा गणेश, अवर सचिव

दिनांक 7 फरवरी 2014

सं. ए-32014/1/2012-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को वेतन बैंड 2 में 9300-34800/- रु.+ 4800/- रु. (वेतन ग्रेड) के वेतनमान में तदर्थ आधार पर दूरसंचार विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारियों के रूप में दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2014 तक एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा सेवा निवृत्ति की तारीख तक अथवा केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्री)	जन्म तिथि	श्रेणी	सीएसएल/ वर्ष
1	2	3	4	5
1.	श्री बी. एस. चौहान	14.01.1958	सामान्य	2003
2.	श्री सी. के. श्रीवास्तव	01.03.1955	सामान्य	2003

1	2	3	4	5
3.	श्रीमती प्रतिभा रानी	21.03.1955	सामान्य	2003
4.	हरमिन्द्र सिंह चावला	20.09.1954	सामान्य	1997
5.	कुमारी एन.सी.एक्का	06.03.1954	अनुसूचित जनजाति	1997
6.	एडवर्ड टोप्पो	07.01.1957	अनुसूचित जनजाति	1997

2. उपर्युक्त अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता संबंधी कोई मामला नहीं है।
3. अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्ययधीन होगी:--
 - (क) ये तदर्थ नियुक्तियां, नियुक्त व्यक्तियों को उक्त ग्रेड में अनिश्चित रूप से बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
 - (ख) ये तदर्थ नियुक्तियां तब तक जारी रहेंगी जब तक कि वरिष्ठ कोटा अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते हैं। यदि ये तदर्थ नियुक्त व्यक्ति इन दोनों श्रेणियों में से किसी में भी नियमित नियुक्ति के योग्य नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आबंटित संबंधित संवर्ग इकाइयों में नियमित अनुभाग अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से ऐसे नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने पर सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

अनुराधा गणेश, अवर सचिव

इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय
नई दिल्ली -110 003, दिनांक 25 मार्च 2014

सं. 1(1)2013-पीए(टी.ए)--राष्ट्रपति महोदय ने मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में निम्नलिखित को वेतन बैंड -3 ₹ 15600--39100 + ग्रेड वेतन ₹ 5400/- में वैज्ञानिक 'बी' के पद पर नियुक्त किया है:--

1. श्री सचिन यादव 20.02.2014 (पूर्वाहन)

2. श्री अरूण कुमार अग्रहरी 27.02.2014 (अपराह्न)
3. श्री गौतम प्रसाद 28.02.2014 (पूर्वाह्न)
4. सुश्री साधना वर्मा 25.03.2014 (पूर्वाह्न)

2. उपरोक्त अधिकारी वैज्ञानिक 'बी' के पद पर नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेंगे।

एस.रामाकृष्णन, संयुक्त निदेशक

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक: 11.04.2014

सं. ए.-32014/1/2010-प्रशासन(खंड)--राष्ट्रपति डीओपीटी के दिनांक 31.12.2013 के आदेश सं. 6/10/2013-सी.एस.। (एस) के अनुसरण में नागर विमानन मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को उनके नाम के सामने उल्लिखित तक की अवधि के लिए अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध हो जाने तक जो भी पहले हो, 4800/- रुपये ग्रेड पे के साथ पे बैंड 9300--34800/- रुपये में अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं:--

क्र.सं.	नाम	तैनाती का स्थान	अवधि
1.	श्री आर.के.बरार	डीजीसीए	27.03.14(अपराह्न)से 30.06.2014
2.	श्री मुंद्रिका शाह	डीजीसीए	27.03.14(अपराह्न)से 30.06.2014

2. उपर्युक्त अधिकारियों की अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति से उन्हें अनिश्चित काल तक संवर्ग में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल करने अथवा अनुभाग अधिकारी के संवर्ग में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने पर उन्हें सहायक संवर्ग में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

अशोक कुमार, अवर सचिव

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च, 2014

सं. ए-12011/02/2013-आई डब्ल्यू टी। भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985 (1985 का 82) के खंड-(3) के उपखंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन करते हुए केन्द्र सरकार श्री प्रवीर पांडे (आई ए एंड ए एस-1992) प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्र- महालेखा (ए एंड ई), शिलांग कार्यालय को कार्यभार संभालने की तारीख (अर्थात् 11.03.2013)(पूर्वाहन) से अथवा आगे के आदेशों तक जो भी पहले हो तीन वर्ष की अवधि के लिए 37,400-67,000/- + 10,000/- रु. के ग्रेड वेतन में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा में सदस्य (वित्त) के पद पर नियुक्त करती है।

चन्द्रमणि राउत, निदेशक (आई डब्ल्यू टी)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2014

सं. 4/2014, फा.सं.4/6/2010-प्रशासन--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25/09/2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/2/2013 -सी एस I (एस)-I, II, तथा III दिनांक 25.9.2013 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दशाई गई तारीख से उनका नाम अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल होने के फलस्वरूप वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत, वेतन-बैंड-2 रु. 9300-34800/- रु.+ 4800/- रुपए ग्रेड वेतन के वेतनमान में दिनांक 27/01/2014 से जल संसाधन मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र.सं.	नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	नियुक्ति का स्थान	चयन सूची
1	2	3	4
1	सुनीता शर्मा	मंत्रालय (सचिवालय)	2009
2	शाम एम कोहाडे	मंत्रालय (सचिवालय)	2009
3	आर.के. शर्मा	सी डब्ल्यू सी, जल संसाधन मंत्रालय	2010
4	शोभना फ्रांसिस	मंत्रालय (सचिवालय)	2010
5	एस.डी.जरोडिया	सी डब्ल्यू सी, जल संसाधन मंत्रालय	2010
6	एस.बी. त्रिपाठी	मंत्रालय (सचिवालय)	2010
7	के.के. शर्मा	मंत्रालय (सचिवालय)	2010
8	सत नारायण	सी डब्ल्यू सी, जल संसाधन मंत्रालय	2011

1	2	3	4
9	के.आर. नायडू	मंत्रालय (सचिवालय)	2011
10	रूप लाल	मंत्रालय (सचिवालय)	2011
11	अनंत राम	मंत्रालय (सचिवालय)	2011
12	अरिंदम बैनर्जी	सी डब्ल्यू सी, जल संसाधन मंत्रालय	2011

उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति कोर्ट केस के निर्णयों तथा किसी भी संबंधित मामलों में किसी सक्षम कोर्ट के किसी अन्य आदेश के अनुसार होगी ।

- i. श्री राजीव आर एवं अन्य द्वारा भारत संघ के खिलाफ केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओए सं. 4135/2012, एमए सं. 3477/2012 ।
- ii. श्री एम.आर. मीणा एवं अन्य द्वारा भारत संघ के खिलाफ केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओए सं. 4082/2012, एमए सं. 3448/2012 ।
- iii. श्री शान्ति लाल बौरासी एवं अन्य द्वारा भारत संघ के खिलाफ केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओए सं. 4141/2012 ।
- iv. श्री शौर्यान्शू सिन्हा एवं अन्य द्वारा भारत संघ एवं अन्य के खिलाफ दिल्ली के उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 2735/2013 ।

एल.पी.शर्मा, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 31st March 2014

No. RS/42/2/2010/16-Perl. – On completion of her period of deputation, Smt. Sharada Subramaniam (IA&AS-1991), Joint Secretary in the Rajya Sabha Secretariat, stands relieved of her duties in that Secretariat w.e.f. the afternoon of the 31st March, 2014.

2. Smt. Sharada Subramaniam is granted Child Care Leave for 60 days from 01.04.2014 to 30.05.2014 with permission to suffix 31.05.2014 and 01.06.2014 (being Saturday & Sunday respectively).

3. On expiry of the aforesaid period of leave, the services of Smt. Sharada Subramaniam are placed back at the disposal of her parent department, the Office of the Comptroller & Auditor General of India, Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(DEPARTMENT OF JUSTICE)New Delhi-110 011, the 11th April 2014

No. K.13011/02/2014-US.I---In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Rajendra Mal Lodha, Judge of the Supreme Court, to be the Chief Justice of India with effect from 27th April, 2014.

ANITA KAUL, Secretary

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT)New Delhi, the 30th December 2013

No. A-19011/2/2013-ISC---The President is pleased to appoint Dr. Vinod Aggarwal, IAS (JH:80) as Adviser, Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs, in the rank and pay of Additional Secretary to the Government of India with effect from the forenoon of 30th December, 2013.

L. R. GUPTA, Dy. Secy.

DIRECTORATE GENERAL
NATIONAL DISASTER RESPONSE FORCE

New Delhi-110066, the 3rd March 2014

No. I-17018/Estt-I/724/NDRF/2014/3446---The President is pleased to appoint Dr. Mahboob Alam, IPS (TN:81) as Director General, National Disaster Response Force, Ministry of Home Affairs in the HAG Pay Scale of Rs. 67,000-79,000/- with effect from the forenoon of 27.02.2014 upto 31.05.2014 i.e. the date of his retirement from Government Service on superannuation.

2. This HQ Notification of even number 3360 dated 27/02/2014 is hereby cancelled.

SANDEEP RAI RATHORE, Inspector General
NDRF & CD HQ DG NDRFMINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 26th March 2014

No. DIII/460/CF-48/2013---The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Norbert Revai Bere as Consul General of Hungary in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Norbert Revai Bere comprises the States of Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Gujarat, Goa, Karnataka, Andhra Pradesh and Union Territories of Puducherry, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli with the seat in Mumbai.

SANJEEV KHANDURI, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 17th December 2013

No. 03 of 2013 F.No. A-39012/2/2011-Ad.VI(A)---The President of India is pleased to accept the resignation of Shri Ashok Mittal, IRS(IT:92025), Addl.CIT, New Delhi from Central Government Service with effect from 01.11.2012 subject to the condition that the request for change of resignation into VRS, if any, shall not be allowed.

RAJ KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 6th March 2014

No. A-20012/154/80-Estt.(Vol.II)---The President is pleased to appoint Smt. Renu Sablania, Assistant of CSS of the Cadre of Ministry of Finance to the Section Officers Grade of CSS purely on ad-hoc basis in the Department of Financial Services with effect from the forenoon of 03.03.2014 and for the period upto 30th June, 2014 or until further orders.

2. The ad-hoc appointment will be subject to the following terms and conditions: -

- (i) The period of ad-hoc promotion would be upto 30th June, 2014 or till the regular Section Officers are made available, whichever is earlier.
- (ii) The ad-hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS;
- (iii) Ad-hoc appointments would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available through Select Lists.
- (iv) The effective date of ad-hoc promotion in respect of those found fit and clear from vigilance angle would be the date from which the officer concerned joins duty in Section Officers' Grade in his own cadre.

MANISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 14th March 2014

No. A-32011/01/2012-Ad.IV---The Secretary, Ministry of Corporate Affairs is pleased to appoint Shri Dildar Singh, Assistant of the Company Law Board as Section Officer (General Central Service, Group 'B' Gazetted, in the Pay Band of Rs.9300 – 34,800 plus Grade Pay of Rs. 4600/-), in the same organisation with effect from the forenoon of February 17, 2014 on regular basis.

B. P. BIMAL, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 3rd April 2014

No.A-38013/1/2012-Cadre---On attaining the age of superannuation, the following Under Secretary of CSS Cadre of Supply Division retires from Government service with effect from the date mentioned against her name:--

S. No.	Name	Date of Birth	Date of superannuation
1.	Ms. Usha Rani	07.03.1954	31.03.2014

AJAY KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110 011, the 7th April 2014

No. A-13013/02/2013-CHS-IV---The President is pleased to appoint substantively the following Specialist Gr. II of Non-Teaching sub-cadre of the Central Health Service, with effect from the date(s) indicated against each:--

S.No.	Name & Place of Posting	Speciality	Year of Joining	Date of Confirmation
1	2	3	4	5
1.	Dr. Shikha Bansal CGHS, Delhi	Dermatology	22.09.2009	22.09.2010
2.	Dr. Rekha Bharti CGHS, Delhi	Obst. & Gynae	16.11.2010	16.11.2011
3.	Dr. Rajesh Kumari CGHS, Delhi	Obst. & Gynae	18.11.2010	18.11.2011

1	2	3	4	5
4.	Dr. Mukesh Yadav CGHS, Delhi	Paediatrics	13.10.2011	13.10.2012
5.	Dr. Gautam Sharma CGHS, Delhi	Psychiatry	26.09.2011	26.09.2012
6.	Dr. Ritu Vinayak Arora CGHS, Delhi	Radio-diagnosis	13.01.2011	13.01.2012
7.	Dr. Jay Jag Tambe CGHS, Kanpur	Paediatrics	01.11.2011	01.11.2012
8.	Dr. Apurba Adhikari CGHS, Kolkata	Ophthalmology	01.06.2011	01.06.2012
9.	Dr. Bhawna Malhotra Singh, CGHS, Lucknow	Obst. & Gynae	08.04.2011	08.04.2012
10.	Dr. Sanat Kr. Tripathi NTI, Bangaluru	Tuberculosis	12.03.2010	12.03.2011
11.	Dr. Anita Kumari Safdarjung Hospital, New Delhi	Obst. & Gynae	18.11.2010	18.11.2011
12.	Dr. Sarita Singh Safdarjung Hospital, New Delhi	Obst. & Gynae	09.11.2011	09.11.2012
13.	Dr. Manoj Kr. Singh Safdarjung Hospital, New Delhi	Paediatrics	29.07.2010	29.07.2011
14.	Dr. Rachana Meel Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi	Ophthalmology	25.05.2011	25.05.2012
15.	Dr. Surabhi Sinha CGHS, Delhi	Dermatology	13.06.2012	13.06.2013

LALIT KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110011, the 15th April 2014

No. A.12025/56/2013-CHS.I---On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Naveen Rathor to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Scale of Pay of PB-3 (Rs. 15,600--39,100/-) + Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 19.06.2013 until further orders. Dr. Naveen Rathor is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Naveen Rathor shall be on probation for a period of two years from the date of appointment.

M.K. SHARVAR, Under Secy.

The 16th April 2014

No. A.12025/30/2013-CHS.I---On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sajad Ahmed Malik in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 (Rs. 15,600--39,100/-) + Grade Pay 5,400/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 16.12.2013 until further orders. Dr. Sajad Ahmed Malik is posted as Medical Officer under Intelligence Bureau. Dr. Sajad Ahmed Malik shall be on probation for a period of two years.

M.K. SHARVAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 28th February 2014

No. A.38016/12/2013-Est.III---On attaining the age of superannuation, Dr. (Smt.) S. Brindha, Director (CGHS) an officer of Central Health Services posted in the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare has retired from Government Service on 28.02.2014 (AN).

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 11th March 2014

No. 22012/01/2014-Estt.I---Consequent upon his promotion to Grade-I (Under Secretary) vide Department of Personnel & Training Order No. 5/8/2013-CS.I(U) dated 24.12.2013, the President is pleased to appoint Shri Brajesh Godra (CSL No. 8426), Section Officer as Grade-I (Under Secretary) of CSS purely on ad hoc basis in Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Department of Agriculture & Cooperation with effect from the forenoon of 28th February, 2014 for a period upto 31.05.2014 or till the post are filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier.

2. The promotion to Grade-I (Under Secretary) is subject to terms and conditions as given in the DoPT's above Order.

N. K. GUPTA, Dy. Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 2nd April 2014

No.19011/16/2013-Estt.----Consequent upon inclusion of their names into Private Secretary Grade of CSSS in the Select List Year 2010 on the basis of LDCE of Section Officers'/Stenographers'(Gr.B/Gr.I) 2009, 2010 & 2011 and nomination to Ministry of Tribal Affairs vide DOP&T O.M. No. 4/6/2013-CS-II(A) dated 22.08.2013, the President is pleased to appoint the following Officers in the Ministry of Tribal Affairs as Private Secretary with effect from the date mentioned against their names:--

Sl.No.	Name	Select List Year	Rank No.	Appointed w.e.f.
1	Shri Harvinder Singh	2010	15	27.08.2013(FN)
2	Ms. Madhu Sawhney	2010	63	30.08.2013(AN)

K.CHANDRA SEKAR, Under Secy.

No.19011/22/2013-Estt.----Consequent upon inclusion of her name into Private Secretary Grade of CSSS in the Select List Year 2011 under the Zoning Scheme for Seniority Quota and nomination to Ministry of Tribal Affairs vide DOP&T O.M. No. 4/4/2013-CS-II(A) dated 10.09.2013, the President is pleased to appoint Smt. Harmeet Kaur in the Ministry of Tribal Affairs as Private Secretary on regular basis with effect from 25.10.2013(FN).

K.CHANDRA SEKAR, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110 003, the 7th April 2014

No. 9-19/2008-MC. In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/41/2012-EO (SM-I) dated 25th March, 2014, the President is pleased to extend the additional charge of the post of Managing Director, National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC) (Joint Secretary level) under the Ministry of Minority Affairs to Shri Y.P. Singh, Joint Secretary in the Ministry of Minority Affairs, in addition to his own charge, with effect from 09/06/2013 to 30/06/2014, or until further orders, whichever is earlier.

MAITREYEE ROY, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 23rd December 2013

No.A.32013/1/2013-Admn.I---The President is pleased to appoint Sh. Shashi Ranjan Kumar, IAS(MT:92) as Joint Secretary in the Department of Telecommunications, in the Pay Band of Rs.37400-67000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs.10000/- with effect from the forenoon of 23rd December 2013 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

NIRMALA DEV, Under Secy.

The 30th December 2013

No. PF- 609/Admn.I---On attaining the age of superannuation, Sh. Ravi P.B. Menon, Section Officer, Department of Telecommunications shall stand retired from Government service with effect from the afternoon of 31st December, 2013.

NIRMALA DEV, Under Secy.

The 7th February 2014

No. A.32013/4/2010-Admn.I---The President is pleased to appoint Smt. Anuradha Ganesh [CSL No.8316], regular Section Officer of the CSS Cadre of Ministry of Home Affairs, as Grade I (Under Secretary) of CSS purely on ad-hoc basis in the Department of Telecommunications, Ministry of Communications & Information Technology, in the Pay Band-3 of Rs.15600-39100/- plus Rs.6600/- (Grade Pay), with effect from the forenoon of 31.12.2013 for a period upto 31.05.2014 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier, in terms of Department of Personnel and Training's Order No.5/8/2013-CS.I(U) dated 24th December 2013.

NIRMALA DEV, Under Secy.

New Delhi-110001, the 11th January 2014

CORRIGENDUM

No. 641/Admn.I---In supersession of this Department's Notification of even No. dated 02.12.2013 and consequent upon the approval of withdrawal of the voluntary retirement by the competent authority, Sh. Ashwani Kumar Dialani is allowed to continue in Government service.

ANURADHA GANESH, Under Secy.

The 16th January 2014

No. 36-2/2010-Admn.I---The President is pleased to extend the term of Shri Ranjan Khanna, IRS(C&CE:94) currently as Private Secretary to the Minister for Communications & Information Technology (Shri Kapil Sibal) on co-terminus basis with the Minister beyond 22.01.2014 in terms of the provisions of DOP&T's OM No. 31/4/2013-EO(MM-I) dated 02.04.2013 till the completion of the next General Elections or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever occurs the earliest.

ANURADHA GANESH, Under Secy.

The 20th January 2014

No. A.32013/1/2010-Admn.I---The President is pleased to appoint Shri Ranjan Kumar, Grade.I (Under Secretary) of Central Secretariat Service, to the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service purely on ad-hoc basis in the Department of Telecommunications in the Pay Band-3 of Rs.15600-39100/- + Rs.7600/-(Grade Pay) with effect from forenoon of 01-01-2014 initially for a period of one year or until further orders, whichever is earlier, in terms of Department of Personnel & Training's Office Order No.4/3/2013-CS.I(D) dated 12th December 2013.

ANURADHA GANESH, Under Secy.

The 30th January 2014

No. PF- 1451/Admn.I---On attaining the age of superannuation, Smt. Sudha Sharma, Section Officer, Department of Telecommunications shall stand retired from Government service with effect from the afternoon of 31st January, 2014.

ANURADHA GANESH, Under Secy.

The 6th February 2014

No. A.32013/4/2010-Admn.I---The President is pleased to appoint Sh. Budh Ratan [CSL No.8450], regular Section Officer of the CSS Cadre of Ministry of Social Justice & Empowerment, as Grade I (Under Secretary) of CSS purely on ad-hoc basis in the Department of Telecommunications, Ministry of Communications & Information Technology, in the Pay Band-3 of Rs.15600-39100/- plus Rs.6600/- (Grade Pay), with effect from the afternoon of 31.12.2013 for a period upto 31.05.2014 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier, in terms of Department of Personnel and Training's Order No.5/8/2013-CS.I(U) dated 24th December 2013.

ANURADHA GANESH, Under Secy.

The 7th February 2014

No. A-32014/1/2012-Admn.I---The President is pleased to permit the following Assistants of CSS Cadre of Department of Telecommunications to continue to officiate as Section Officers of CSS Cadre on ad-hoc basis in the Pay Band-2 in the Pay Scale of Rs.9300-34800/- + Rs.4800/- (Grade Pay) in the cadre of Department of Telecommunications for a period of one year w.e.f. 01.01.2014 to 31.12.2014 or till the date of retirement or till the availability of regular Section Officers of CSS cadre or until further orders, whichever is earlier :--

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	DoB	Category	CSL/Year
1	Sh. B.S. Chauhan	14.01.1958	Gen	2003
2	Sh. C.K.Srivastava	01.03.1955	Gen	2003
3	Smt. Pratebha Rani	21.03.1955	Gen	2003
4	Harminder Singh Chawla	20.09.1954	Gen	1997
5	Km. N.C. Ekka	06.03.1954	ST	1997
6	Edward Toppo	07-01-1957	ST	1997

2. The above officers are clear from Vigilance Angle.

3. Ad-hoc promotion/appointment to the grade of Section Officer is subject to the following conditions:--

- The ad-hoc appointments shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade of CSS;
- Ad-hoc appointment would continue till regular candidates, in Section Officer Grade are available either through seniority quota or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant's grade on availability of such regular officers from the date the regular Section Officers join duty in their respective cadre units allotted to them by the Deptt. of Personnel & Training.

ANURADHA GANESH, Under Secy.

DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
STANDARDISATION, TESTING & QUALITY CERTIFICATION DIRECTORATE

New Delhi-110003, the 25th March 2014

No. 1(1)/2013-PA(TA): The President is pleased to appoint the following as Scientist 'B' in STQC Directorate, Department of Electronics and Information Technology in the Pay Band - 3 of Rs.15600-39100/- + Grade Pay Rs. 5400/-:--

- Sh. Sachin Yadav w.e.f. 20.2.2014 (F/N)
- Sh. Arun Kumar Agrahari w.e.f. 27.2.2014 (A/N)
- Sh. Gautam Prasad w.e.f. 28.2.2014 (F/N)
- Ms. Sadhna Verma w.e.f. 25.3.2014 (A/N)

2. The above officers shall be on probation for a period of one year from the date of their appointment as Scientist 'B'.

S. RAMAKRISHNAN, Jt. Dir.

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 11th April 2014

No. A-32014/1/2010-Admn.(Pt.)---The President is pleased to appoint the following Assistants on the CSS Cadre of the Ministry of Civil Aviation to officiate as Section Officer on ad-hoc basis in the Pay Band of Rs. 9300-34800/- with a Grade Pay of Rs. 4800/- with effect from the dates shown against their names, or till the regular Section Officers are made available, whichever is earlier, in pursuance to DoPTs Order No. 6/10/2013-CS-I(S) dated 31.12.2013:--

Sl. No.	Name	Place of Posting	Period
1.	Shri R. K. Brar	DGCA	27.03.14 (AN) to 30.06.2014
2.	Shri Mundrika Sah	DGCA	27.03.14 (AN) to 30.06.2014

2. Their appointment to the post of Section Officer on ad-hoc basis shall not confer them any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade. They shall be reverted to the Assistant Grade as and when regular candidates are available.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 27th March 2014

No. A-12011/02/2013-IWT---In exercise of power conferred by Sub-Section (3) of Section (3) of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Central Government appoints Sh. Pravir Pandey (IA&AS:1992), Principal Director, Regional Training Institute, NE-Region, O/o Accountant General (A&E), Shillong to the post of Member (Finance), Inland Waterways Authority of India, Noida in the Scale of Pay of Rs. 37,400-67,000/- + Grade Pay, Rs. 10,000/- with effect from the date of joining [i.e. 11.03.2014(FN)] for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

CHANDRAMANI ROUT, Dir. (IWT)

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 31st January 2014

No. 4/2014, File No. 4/6/2010-Admn.---The President is pleased to appoint the following officials as Section Officer in the CSS Cadre of the Ministry of Water Resources on regular basis consequent upon inclusion of their names in the Select List of Section Officers for the years as indicated against each under Seniority Quota in the PB – 2 of Rs. 9300 - 34800/- with Grade Pay of Rs. 4800/- w.e.f. 27.1.2014 in pursuance to DoP&T's OM Nos. 6/2/2013-CS.I(S) - I, II, & III, dated 25.9.2013 :-

S.No.	Name (S/Shri/Smt.)	Place of Posting	Select List
1.	Sunita Sharma	Ministry (Sectt.)	2009
2.	Sham M. Kohade	Ministry (Sectt.)	2009
3.	R.K. Sharma	CWC, MoWR	2010
4.	Sobhana Francis	Ministry (Sectt.)	2010
5.	S.D. Jarodia	CWC, MoWR	2010
6.	S.B. Tripathi	Ministry (Sectt.)	2010
7.	K.K. Sharma	Ministry (Sectt.)	2010
8.	Sat Narain	CWC, MoWR	2011
9.	K. R. Naidu	CWC, MoWR	2011
10.	Roop Lal	Ministry (Sectt.)	2011
11.	Anant Ram	Ministry (Sectt.)	2011
12.	Arindam Banerjee	CWC, MoWR	2011

2. The appointment of above officers shall be subject to the outcome of the following Court Cases and also as per any other order by any Competent Court in any of the connected matters :-

- OA No.4135/2012, MA No. 3477/2012 filed by Shri Rajeev R & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- OA No. 4082/2012 & MA No. 3448/2012 filed by Shri M.R. Meena & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- OA No. 4141/2012 filed by Shri Shanti Lal Bourasi & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- WP(C) No. 2735/2013 filed by Shri Sauranshu Sinha & Ors. Vs. UoI and Ors. in the High Court of Delhi..

L.P. SHARMA, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
 एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
 PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
 N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in